



भेदभाव संबंधी शिकायत नागरिक अधिकार कार्यालय में कैसे दर्ज करें

भूमिका

नागरिक अधिकार कार्यालय (ओसीआर) पांच संघीय नागरिक अधिकार कानूनों को लागू करता है, जो शिक्षा वभिाग (ईडी) से संघीय वत्तितीय सहायता प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों या गतविधियों में नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, वकिलांगता और उम्र के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं। सविलि राइट्स एक्ट ऑफ 1964 के खंड VI के अनुसार नस्ल, रंग और मूल राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव प्रतबिंधति है; 1972 के शिक्षा सशोधनों के खंड IX के अनुसार लिंग संबंधी भेदभाव प्रतबिंधति है; रहिबलिटिशन एक्ट ऑफ 1973 की धारा 504 और अमेरिकिन्स वदि डिसिबलिटिसि एक्ट ऑफ 1990 (खंड II सभी सार्वजनिकि इकाईयों द्वारा , चाहे वे संघीय वत्तितीय सहायता प्राप्त करते हों या नहीं, वकिलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतबिंधति करता है) के खंड II के अनुसार वकिलांगता के आधार पर भेदभाव प्रतबिंधति है; और एज डिसिक्रीमनिशन एक्ट ऑफ 1975 के अनुसार उम्र संबंधी भेदभाव प्रतबिंधति है।

इन नागरिक अधिकार कानूनों का वसितार ईडी से संघीय वत्तितीय सहायता प्राप्त करने वाले सभी राज्य शिक्षा एजेंसियों, प्राथमिक और माध्यमिकि स्कूल ससिटमों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, व्यावसायिकि स्कूलों, प्रोपराइटरी स्कूलों, राज्य व्यावसायिकि पुनर्वास एजेंसियों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों तक है। ईडी अनुदान प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों या गतविधियों को अनुदानों, लाभों या सेवाओं को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करना अनविार्य है। ऐसे अनुदानों, लाभों या सेवाओं में प्रवेश, भर्ती, वत्तितीय अनुदान, अकादमिकि कार्यक्रम, छात्र व्यवहार और सेवाएं, परामर्श और मार्गदर्शन, अनुशासन, कक्षा कार्य, ग्रेडिंग, व्यावसायिकि शिक्षा, मनोरजन, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, आवास और रोजगार शामिल हैं लेकिन यह यहीं तक सीमति नहीं है।

ओसीआर बाँय स्काउट्स ऑफ अमेरिका इक्वल एक्सेस एक्ट, एलमिंटरी एंड सेकेन्डरी एजुकेशन एक्ट के भाग को भी लागू करता है। इस एक्ट के अंतर्गत, ईडी से अनुदान प्राप्त करने वाले किसी सार्वजनिकि प्राथमिकि स्कूल, सार्वजनिकि माध्यमिकि स्कूल या राज्य या स्थानीय एजेंसी द्वारा समान पहुंच के इंकार संबधति या ऐसा करने के लिए न्यायपूरण अवसर देने, या भेदभाव करने, बाँय स्काउट्स से सम्बद्ध कोई समूह या संयुक्त राज्य कोड के खंड 36 में सूचीबद्ध अन्य युवा समूह के साथ भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच कर सकता है।

भेदभाव संबंधी शिकायत कौन दर्ज कर सकता है

कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, जसै ऐसा लगता है कि संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षण संस्थान ने नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रियता, लिंग, वकिलांगता या उम्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया है या जसै लगता है कि किसी सार्वजनिक प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल, या राज्य अथवा स्थानीय शिक्षण एजेंसी ने बाँय सुकाउट्स ऑफ अमेरिका इक्वल एक्सेस एक्ट का उल्लंघन किया है। यह जरुरी नहीं है कि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति या संगठन भेदभाव का शिकार हुआ हो, वह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की ओर से भी शिकायत कर सकता है।

सामयिकता

यदि कुछ नशिकति परस्थितियों में उचित कारणवश ओसीआर के द्वारा शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ायी नहीं गई हो, तो कोई भी शिकायत कथित भेदभाव होने की तारीख से 180 कैलेंडर दिनों के भीतर दर्ज करना अनविर्य है।

संस्थागत शिकायत प्रक्रियाएं

किसी संस्था के खिलाफ ओसीआर में शिकायत दर्ज करने से पहले, संभावित शिकायतकर्ता संस्थान की शिकायत प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी शिकायत के नविरण के लिए उस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तथापि, कानून के अनुसार यह जरुरी नहीं है कि शिकायतकर्ता ओसीआर में शिकायत दर्ज करने से पहले संस्थागत शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल करे। यदि कोई शिकायतकर्ता संस्थागत शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है और ओसीआर में भी शिकायत दर्ज करता है, तो संस्थागत शिकायत प्रक्रिया पूरी होने के 60 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराना अनविर्य है।

शिक्षा विभाग का मिशन छात्र उपलब्धि को बढ़ावा देना और शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देते हुए एवं समान पहुंच सुनिश्चित करते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

शिकायत कैसे दर्ज करायें

शिकायत दर्ज करने के इच्छुक शिकायतकर्ता इन माध्यमों से अपनी शिकायत कर सकते हैं:

मेल या फ़ैक्स: शिकायतकर्ता अपना पत्र डाक से भेज सकते हैं या फ़ैक्स द्वारा भेज सकते हैं अथवा ओसीआर के प्रवर्तन कार्यालयों में उपलब्ध ओसीआर के भेदभाव संबंधी शिकायत फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं (ओसीआर के कार्यालयों की सूची वविरणिका में देखें)। कृपया अपने पत्राचार में इन्हें शामिल करें:

- शिकायतकर्ता का नाम, पता और, यदि संभव हो (हालांकि अनिवार्य नहीं है) एक टेलीफोन नम्बर, जसि पर कारोबारी समय के दौरान शिकायतकर्ता से संपर्क किया जा सके;
- कथति भेदभावपूर्ण घटना(ओं) से पीड़ति व्यक्त(ियों) या व्यक्तियों की श्रेणी के बारे में जानकारी (पीड़ति व्यक्त(ियों) के नाम देना अनिवार्य नहीं है);
- संस्थान का नाम और स्थान, जहाँ कथति भेदभाव हुआ हो; और
- पर्याप्त वविरण के साथ कथति भेदभावपूर्ण घटना(ओं) का ब्यौरा ताकि ओसीआर समझ सके कि क्या हुआ, कब हुआ और कथति भेदभाव (नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, वकिलांगता, उम्र या बाँय स्काउट्स ऑफ अमेरिका इक्वल एक्सेस एक्ट) का आधार क्या रहा।

ई-मेल: शिकायतकर्ता नमिनलखिति ई-मेल पते पर अपनी शिकायत भेज सकते हैं: ocr@ed.gov. ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं का पालन करें।

ऑनलाइन: ओसीआर में शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता नमिनलखिति वेबसाईट पर ओसीआर के इलेक्ट्रानिक फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं: <http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html>

जनिका वर्तमान में ई-मेल खाता नहीं है, उनके लिए स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय में निःशुल्क इंटरनेट एक्सेस सुवधि, और कई बड़े प्रदाताओं द्वारा निःशुल्क ई-मेल खाता उपलब्ध है।

टपिपणी: इस वविरणिका के पहले पेज पर सूचीबद्ध कानूनों के अंतर्गत किसी जांच-पड़ताल या प्रक्रिया के दौरान, शिकायत करने, गवाही देने, सहायता या किसी भी प्रकार से सहभागति करने वाले किसी भी व्यक्तिके साथ, संघीय ववतितीय सहायता के प्राप्तकर्ता, कोई प्रतशिोध नहीं ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यदि इनमें से किसी भी कारणों से प्रतशिोध किया गया है तो आप ओसीआर में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यू.एस. शिक्षा वभिग
Arne Duncan
सचवि

मार्च 2011

कार्यालय और पते

मुख्यालय
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
400 Maryland Ave. SW
Washington, DC 20202-1100
Customer Service: 800-421-3481

फैक्स: 202-453-6012
टीडीडी: 877-521-2172*
ई-मेल: OCR@ed.gov
वेब: <http://www.ed.gov/ocr>

Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont

Office for Civil Rights, *Boston Office*
U.S. Department of Education
5 Post Office Square, 8th Floor
Boston, MA 02109-3921

टेलीफोन: 617-289-0111*
फैक्स: 617-289-0150
ई-मेल: OCR.Boston@ed.gov

New Jersey, New York, Puerto Rico, Virgin Islands

Office for Civil Rights, *New York Office*
U.S. Department of Education
32 Old Slip, 26th Floor
New York, NY 10005-2500

टेलीफोन: 656-428-3800*
फैक्स: 656-428-3843
ई-मेल: OCR.NewYork@ed.gov

Delaware, Maryland, Kentucky, Pennsylvania, West Virginia

Office for Civil Rights, *Philadelphia Office*
U.S. Department of Education
100 Penn Square East, Suite 515
Philadelphia, PA 19107-3323

टेलीफोन: 215-656-8541*
फैक्स: 215-656-8605
ई-मेल: OCR.Philadelphia@ed.gov

Alabama, Florida, Georgia, Tennessee

Office for Civil Rights, *Atlanta Office*
U.S. Department of Education
61 Forsyth St. SW, Suite 19T70
Atlanta, GA 30303-8927

टेलीफोन: 404-974-9406*
फैक्स: 404-974-9471
ई-मेल: OCR.Atlanta@ed.gov

Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas

Office for Civil Rights, *Dallas Office*
U.S. Department of Education
1999 Bryan St., Suite 1620
Dallas, Texas 75201-6810

टेलीफोन: 214-661-9600*
फैक्स: 214-661-9587
ई-मेल: OCR.Dallas@ed.gov

North Carolina, South Carolina, Virginia, Washington, D.C.

Office for Civil Rights, *District of Columbia Office*
U.S. Department of Education
400 Maryland Ave. SW
Washington, DC 20202-1475

टेलीफोन: 202-453-6020*
फैक्स: 202-453-6021
ई-मेल: OCR.DC@ed.gov

Illinois, Indiana, Minnesota, Wisconsin, Iowa, North Dakota

Office for Civil Rights, *Chicago Office*
U.S. Department of Education
Citigroup Center
500 W. Madison St., Suite 1475
Chicago, IL 60661-7204

टेलीफोन: 312-730-1560*
फैक्स: 312-730-1576
ई-मेल: OCR.Chicago@ed.gov

Michigan, Ohio

Office for Civil Rights, *Cleveland Office*
U.S. Department of Education
1350 Euclid Avenue, Suite 325
Cleveland, OH 44115

टेलीफोन: 216-522-4970*
फैक्स: 216-522-2573
ई-मेल: OCR.Cleveland@ed.gov

Kansas, Missouri, Nebraska, South Dakota, Oklahoma

Office for Civil Rights, *Kansas City Office*
U.S. Department of Education
One Petticoat Lane
1010 Walnut Street, Suite 320, 3rd Floor
Kansas City, MO 64106

टेलीफोन: 816-268-0550*
फैक्स: 816-823-1404
ई-मेल: OCR.KansasCity@ed.gov

Arizona, Colorado, New Mexico, Utah, Wyoming

Office for Civil Rights, *Denver Office*
U.S. Department of Education
Cesar E. Chavez Memorial Building
1244 Speer Blvd., Suite 310
Denver, CO 80204-3582

टेलीफोन: 303-844-5695*
फैक्स: 303-844-4303
ई-मेल: OCR.Denver@ed.gov

California

Office for Civil Rights, *San Francisco Office*
U.S. Department of Education
50 United Nations Plaza
San Francisco, CA 94105-1813

टेलीफोन: 415-486-5555*
फैक्स: 415-486-5570
ई-मेल: OCR.SanFrancisco@ed.gov

Alaska, Hawaii, Idaho, Nevada, Oregon, Washington, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Montana

Office for Civil Rights, *Seattle Office*
U.S. Department of Education
915 Second Ave., Room 3310
Seattle, WA 98174-1099

टेलीफोन: 206-607-1600
टीडीडी: 206-607-1647
फैक्स: 206-607-1601
ई-मेल: OCR.Seattle@ed.gov